



42/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दिनांक 18 अप्रैल 2016

पत्रांक : 139 /05/76/एक/2016-17
सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	249.555

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किरत की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	बूनकर कालोनी में पिचरोड से नजीर का मकान होते हुये सुलेमान के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.646
2	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	बूनकर कालोनी में महमूद के मकान से इजहार के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	6.454
3	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 31 मुहल्ला बलाकीपूरा में शितला मन्दिर के दक्षिणी दिवाल के ट्रान्सफार्मर से मन्जूर अहमद के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.209
4	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 31 मुहल्ला बुलाकीपूरा में सुरेन्द्र वर्मा के मकान से डोम बस्ती तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.962
5	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 10 मुहल्ला नवापूरा में भरहू का पूरा, सरकारी ट्यूबवेल और ट्रान्सफार्मर के बीच से याकुब का मकान होते हुये मस्जिद दलाल के अहाता तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.897
6	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में मरहूम हबीबुल्लाह के मकान से फहीम के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.695
7	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में गुंजन मिया के मकान से इसराईल के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.860
8	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में वक्तोयार के मकान से फजलेहक के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.373
9	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प0 घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में सुफिया एनुलहक के मकान से डा० कलीम के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.373
10	मऊ	अल्पसंख्यक-37	न0प0 घोसी	वार्ड सं० 09 मदापुर उत्तरी में जफर के मकान से	1.662



42/2

दस्तावेज 2286709
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशांक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
		बजट		हबीबुल्लाह के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	
11	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मोहमदाबाद गोहना	मु० जमालपुर में मऊ रोड से राजेश यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.053
12	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मोहमदाबाद गोहना	मु० जमालपुर में मऊ रोड से सरकारी हॉस्पिटल से चौहान बस्ती जमालपुर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	12.960
13	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मोहमदाबाद गोहना	मु० महरूपुर मदरसा फैजूल उलूम से बंधा तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	6.914
14	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मुहल्ला मदनपुरा में मेनरोड से एहतेशाम का घर होते हुये तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.634
15	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मुहल्ला मुंशीपुरा में मिस्त्री होटल से पुलिया होते हुये पोखरे तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.438
16	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मुहल्ला मुंशीपुरा में सज्जाद के मकान से नाला तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.898
17	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 25, डोमनपुरा में इकबाल अहमद के घर से सोहैल के घर तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.897
18	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 25, डोमनपुरा अलीनगर में शफीक के घर से गफ्फार के घर तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.697
19	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	मुंशीपुरा में जमीर के मकान से सुल्तान, सब्बीर, अनवर, के घर तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.344
20	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	इस्लामपुरा से इब्राहिम के घर तक नाला ढक्कन एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.965
21	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	हूसैनपुरा में मुहल्ला घासीपुरा में डाक्टर के घर से मस्जिद ढक्कन नाला निर्माण कार्य।	4.993
22	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	हूसैनपुरा मुहल्ला फखरुद्दीनपुरा में युसूफ के घर से खिरीबाद पुलिस चौकी तक नाला ढक्कन एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.351
23	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 11 मो० बख्तावरबंज में बैजनाथ के मकान से पारस के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.798
24	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 11 मो० बख्तावरबंज में बृजराज के मकान से प्रभुनाथ के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.207
25	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 13 मो० अलीनगर में हैदरनगर स्पोर्टिंग से अब्दुल हक के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	13.857
26	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 13 मो० अलीनगर में खर्चु के मकान के पास पुलिया से मो० मोबीन के मकान तक कवर्ड नाली एवं	15.951



42/3

दस्तावेज - 2266709

2266710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किरत की धनराशि का प्रेषण
				इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	
27	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० मुहम्मदाबाद गोहना	मो० नाजो पट्टी में रिजवान के घर से अशरफ मुकादम के मकान होते हुए खैराबाद सडक तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.065
28	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा० मऊनाथ भंजन	वार्ड नं० 11 भदेसरा में बख्शावरगंज सी०सी०रोड से तलियवा कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.820
29	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा० मऊनाथ भंजन	वार्ड सं०-2 रस्तीपुर में विरेन्द्र के मकान से रामअवध के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.582
30	योग				249.555

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध



42/4

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक